आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

आदेश

द्वारा पारित:
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
महाप्रबंधक (सतर्कता)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कमरा नं 267, 2nd फ्लोर,
खंड सी, राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली 110 003
ईमेल: gmvig@aai.aero
दूरभाष : 011-246527645 (Extn-2033)

के मामले में:
[redacted]

अपील संख्या.: AAI/VIG/RTI/2025/95/518-519 दिनांक: 27/05/2025

1.**प्रस्तावना**

1.1 यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के तहत किया गया है इस आदेश के विरुद्ध अपील केंद्रीय सूचना आयोग, क्लब बिल्डिंग, ओल्ड जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली-110067 में की जा सकती है।

1.2 अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है जिस दिन यह आदेश किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

2. **तथ्य**

2.1 [redacted] ने आरटीआई पंजीकरण संख्या AAOIN/R/E/25/00462 दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई आवेदन किया था।

2.2 उपरोक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों के माध्यम से अपीलकर्ता ने निम्नलिखित जानकारी मांगी थी और उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/ के.ज.सू.अ ने पत्र संख्या AAI/VIG/RTI/486/2025/402 दिनांक 25.04.2025 के माध्यम से आवेदक को निम्नानुसार जवाब दिया था:

O/C

क्रम संख्या.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
अ.	Reference: RTI registration No. AAOIN/R/E24/00010 dated 03/01/2024. Sir, Please refer letter No. AAI/VIG/RTI/439/2024/73074 dated 30/01/2024. The sought information /documents of point no. 2 & 3 are not received till date by your office. As per RTI Act the time list is over of provide the information/dicuments. So you are once again requested please provide the sought information/documents of Pont no. 2 & 3 of RTI Registration No. AAI/VIG/RTI/439/2024/73074 dated 30/01/2024 under RTI Act 2005.	[redacted] द्वारा जामा की गई ऑनलाइन आरटीआई पंजीकरण संख्या AAOIN/R/E/24/00010 दिनांक 03/01/2024 का जवाब इस कार्यालय के पत्र संख्या AAI/VIG/RTI/439/2024/73-74 दिनांक 30/01/2024 के माध्यम से दिया गया है। (प्रति सन्लग्न)

2.3 आवेदक ने पंजीकरण संख्या AAOIN/A/E/25/00099 दिनांक 29/04/2025 के माध्यम से ऑनलाइन प्रथम आरटीआई अपील दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि के.ज.सू.अ ने अधूरी, भ्रामक, एवं गलत जानकारी उपलब्ध की है।

3. जाँच – परिणाम

3.1 अपीलकर्ता द्वारा की गई प्रथम अपील की प्राप्ति पर, अधोहस्ताक्षरी द्वारा मामले की जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि अपीलकर्ता ने मूल आरटीआई आवेदन संख्या दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से उनके ही द्वारा जमा की गई ऑनलाइन आरटीआई आवेदन संख्या AAOIN/R/E/24/00010 दिनांक 03.01.2024 के बिन्दु 2 एवं 3 में मांगी गई जानकारी आज तक के.ज.सू.अ (सतर्कता) ने उपलब्ध नहीं की है।

3.2 यह पाया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा जामा की गई ऑनलाइन आरटीआई पंजीकरण संख्या AAOIN/R/E/24/00010 दिनांक 03/01/2024 का जवाब के.ज.सू.अ (सतर्कता) ने पत्र संख्या AAI/VIG/RTI/439/2024/73-74 दिनांक 30/01/2024 के माध्यम से निम्नानुसार दिया था:

क्रम संख्या.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
	आपसे आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2023 तक सतर्कता निदेशालय , भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली में Group C भर्ती प्रक्रिया में अनियमिताओं /	कथन

	विसंगतियों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएँ जनहित में उपलब्ध करवाने का अनुरोध हैं:-	
1	उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई।	मांगी गई जानकारी विशिष्ट नहीं है।
2	उक्त अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों में से कुल शिकायतों की vigilance angles से enquiry 'करवाई गई।	आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में डीओपीटी ओएम नंबर 1/4/2008-आईआर दिनांक 25.04.2008 के अनुसार- "अधिनियम के तहत केवल ऐसी जानकारी प्रदान करना आवश्यक है जो पहले से मौजूद है और सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है। अधिनियम के तहत जानकारी बनाना आवश्यक नहीं है; या जानकारी की व्याख्या करना; अथवा द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना आवेदक; या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए।"
3	उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी शिकायतों की enquiry में किन किन श्रेणी की अनियमिताओं / विसंगतियों सामने उजागर हुई।	

3.3 संबंधित आरटीआई आवेदन का के.ज.सू.अ. (सतर्कता) द्वारा पत्र संख्या AAI/VIG/RTI/486/2025/402 दिनांक 25.04.2025 के माध्यम से उचित रूप से जवाब दिया गया है।

4. **निर्णय**

4.1 उपरोक्त के मद्देनजर प्रथम अपील का निस्तारण किया जाता है।

4.2 डीओपीटी ओएम नंबर 1/4/2008-आईआर दिनांक 25.04.2008 की प्रति संलग्न है।

संलग्न : यथोपरि

RG Jain 27/05/25

(राजगुरु जैन Rajguru Jain)

महाप्रबंधक (सतर्कता) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी GM(VIGILANCE) & FAA

4/4

वितरण:

क) [redacted]

ख) उप. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भाविप्रा, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110003

O/C

जारी किया
27/05/2025